संख्या-27/2018-1192/58-2018-305/2014

प्रेषक

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2018**

विषय: **प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक परियोजना के द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 में कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स/विस्तारीकरण/नवीनीकरण के लिए जनहित गारण्टी से संबंधित सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन सामान्य को पारदर्शी सेवायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्व है। वर्तमान में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑफ लाइन हो रही थी, को ऑन लाइन कराया जा रहा है। इस संबंध में जनहित गारन्टी सेवाओं के कार्यक्रमों को www.janhit.uphorticulture.in और www.edistrict.up.nic.in पोर्टल पर अनुज्ञा/अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। ऑन लाइन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत है :-

1. उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
2. उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत अनुज्ञा के अनुसार निर्माण के उपरान्त लाइसेन्स (अनुज्ञप्ति) पंजीकरण/विस्तारीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
3. उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत संचालित शीतगृहों के नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
4. कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स/विस्तारीकरण/नवीनीकरण के लिए लाइसेन्स फीस का विवरण :-

क्र0 सं0	कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने की क्षमता (घन मीटर में)	सहकारी शीतगृह लाइसेन्स फीस (रू0 में)	सहकारी शीतगृह नवीनीकरण फीस (रू0 में)	निजी शीतगृह लाइसेन्स फीस (रू0 में)	निजी शीतगृह नवीनीकरण फीस (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	01 से 282 तक	1100	600	1500	800
2	282 से अधिक 7000 तक	4500	2600	6000	3500
3	7000 से अधिक 15000 तक	7500	4500	10000	6000
4	15000 से अधिक	11200	7500	15000	10000

5. उपरोक्त पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया संबंधित जिला उद्यान अधिकारी के स्तर पर 10 दिन में, मण्डलीय उप निदेशक के स्तर पर 05 दिन में तथा निदेशक/लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह) के स्तर पर 10 दिन के अन्दर पूर्ण करते हुए लाइसेन्स जारी किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स/विस्तारीकरण/नवीनीकरण के लिए लाईसेन्स फीस जमा करने के लिए लेखाशीर्षक का विवरण :-

0401-फसल कृषि कर्म 00800-अन्य प्राप्तियां 08-शीतगृह लाईसेन्स फीस

ग्यारह डिजिट का नम्बर	0	4	0	1	0	0	8	0	0	0	8

7. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की उपरोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेड करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई0टी0 विभाग के शासनादेश के अनुसार लागू होंगे।

8. अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।

9. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेड करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन0आई0सी0/एस0ई0एम0टी0 की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी संबंधित स्टेक होल्डर द्वारा पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

10. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्टस यथा- जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा- इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।

11. आवदेक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जनसुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध करेगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर Login करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी संबंधित सेवा के लिए प्रस्तर-3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

12. ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से आये ई-रजिस्ट्रेशन/ई-रिटर्न को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

2- कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-27/2018-1192(1)/58-2018 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश।
4- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गावर्नेन्स, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
5-- एस0आई0ओ0 योजना भवन लखनऊ ।
6- हेड एस0ई0एम0टी0, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in